पेत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक/17 RS70-I-17

महेन्द्र सिंह तनय अर्जुन सिंह
निवासी— ग्राम बड़ागांव, तहसील
देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना, म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदक

श्रीमती रजनी [illegible]
द्वारा आज दि. 6/02/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

6/2/17

6/2/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.11.2016 अनुविभागीय अधिकारी, जिला पन्ना, म0प्र0 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी अन्दर अवधि निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

प्रकरण के मुख्य तथ्य

1— यह कि, ग्राम बड़ागांव में स्थित भूमि आराजी नम्बर 874 रकवा 1.42 हैक्टेयर पर आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है जिस पर आवेदक के बाप दादाओं के द्वारा लगभग 500 वृक्ष आम, इमली, जामुन, आंवला, कटहल, नीबू आदि के फलदार वृक्ष लगाकर एवं रहायसी मकान बनाकर आवेदक का कब्जा चला आ रहा है, एवं आवेदक स्वंय वर्तमान में अपने परिवार सहित उक्त मकान में रह रहा है। फिर भी तहसीलदार देवेन्द्रनगर द्वारा प्रकरण कमांक 100/अ—69/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2015 द्वारा धारा 148 के तहत उक्त भूमि को शासकीय भूमि मानते हुये आवेदक को बेदखल कर दिया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-570-एक/2017 जिला पन्ना **महेन्द्रसिंह विरूद्ध म.प्र.शासन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018 21.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक महेन्द्र सिंह की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला पन्ना के अपील प्रकरण क्रमांक 41/अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 15-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-02-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है ।	

आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.12.18

(आर.के.जैन)
सदस्य